VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(20 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 'शहरी नक्सलवाद' के खिलाफ विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश
- डोनाल्ड ट्रम्प की भारत पर 'पारस्परिक' टैरिफ लगाने की धमकी
- गंगा डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग का महत्व
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

'शहरी नक्सलवाद' के खिलाफ विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश:

परिचय:

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे संयुक्त चयन समिति को भेजा जाएगा और सभी विचारों और राय को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में फिर से लाया जाएगा।
- इस विधेयक को सबसे पहले पिछले मानसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। इसमें "शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी" से निपटने के लिए एक व्यापक नए कानून का प्रस्ताव किया गया है।

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य क्या है?

- महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (MSPS) विधेयक, 2024 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि "नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों

के दूरदराज के इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नक्सली संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी इसकी मौजूदगी बढ़ रही है"।

- महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, ये "फ्रंटल संगठन" सशस्त्र नक्सली कैडरों को रसद और सुरक्षित शरण प्रदान करते हैं, और "नक्सलवाद के इस खतरे से निपटने के लिए मौजूदा कानून अप्रभावी और अपर्याप्त हैं"।
- उल्लेखनीय है कि नक्सलियों के जब्त साहित्य से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क के 'सुरक्षित घर' और 'शहरी ठिकाने' हैं। नक्सली संगठन या उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियां उनके संयुक्त मोर्चे के (TUF) माध्यम से आम जनता के बीच अशांति पैदा कर रही हैं, ताकि संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जा सके।

प्रस्तावित कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- यह विधेयक सरकार को किसी भी संदिग्ध "संगठन" को "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने की शक्ति देता है।
- इसमें चार अपराध निर्धारित किए गए हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है:

1. किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य होने के लिए,
2. सदस्य न होने पर, किसी गैरकानूनी संगठन के लिए धन जुटाने के लिए,
3. किसी गैरकानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहायता करने के लिए और,
4. कोई "गैरकानूनी गतिविधि" करने के लिए।

- इन चार अपराधों में दो साल से लेकर सात साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गैरकानूनी गतिविधि करने से संबंधित अपराध के लिए सबसे कठोर सजा है: सात साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
- प्रस्तावित कानून के तहत अपराध संज्ञेय हैं, जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और गैर-जमानती हैं।

MSPC, 2024 Vs UAPA, 1967:

- गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 भारत का मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा नक्सलवाद से जुड़े मामलों में किया जाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- UAPA राज्य को संगठनों को "गैरकानूनी संगठन" के रूप में नामित करने की शक्ति देता है। UAPA और MSPC विधेयक दोनों ही ऐसी घोषणा करने के लिए समान प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं।
- UAPA के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण राज्य द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करता है।
- MSPC विधेयक में, एक सलाहकार बोर्ड जिसमें "तीन व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या बनने के योग्य हैं" को पुष्टि प्रक्रिया को पूरा करने का काम सौंपा गया है।

नक्सलवाद या माओवाद क्या है?

- माओवाद या नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला, वामपंथी विचारधारा वाला, सशस्त्र हिंसक संघर्ष है जो भारत के पूर्वी राज्यों के अति पिछड़े क्षेत्रों में अल्प विकास एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वंचना के कारण पनपा है।
- वामपंथी उग्रवादी, माओ-त्से-तुंग की विचारधारा को अपनाकर, भारत की संसदीय एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विपरीत एक नवीन साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाने की बात करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नक्सलवाद का घोषित उद्देश्य क्या है?

- दीर्घकालीन, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर वैकल्पिक राज्य संरचना के रूप में 'नव जन लोकतंत्र' की स्थापना करना है। इस क्रम में नक्सलवाद भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विरोध करता है एवं इसे छलावा मानता है।
- इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के प्रति स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु नक्सलवादी लोगों के अधिकारों (जल, जंगल और जमीन) के लिए आंदोलन चलाते हैं एवं जन अदालत द्वारा पीड़ितों को न्याय प्रदान करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डोनाल्ड ट्रम्प की भारत पर 'पारस्परिक' टैरिफ लगाने की धमकी:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ संभावित व्यापार संघर्ष की स्थिति तैयार कर दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च कर लगाता रहा तो वह भी भारत पर इसी तरह का शुल्क लगाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कुछ खास अमेरिकी उत्पादों पर 100 प्रतिशत कर सहित भारी शुल्क लगाने की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर ये प्रथाएं जारी रहीं तो अमेरिका भी, भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।

विवाद का मूल: भारत की उच्च टैरिफ दर

- डोनाल्ड ट्रम्प ने विशेष रूप से अमेरिकी वस्तुओं पर भारत की उच्च टैरिफ दर को उजागर किया, जिसमें मोटरसाइकिल और उपभोक्ता उत्पादों जैसी वस्तुओं पर 100

प्रतिशत कर शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी नीतियां अमेरिकी व्यवसायों के लिए अनुचित खेल का मैदान बनाती हैं।

- डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि "कूटनीति एवं व्यापार में 'पारस्परिकता' शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई हमसे शुल्क लेता है, तो क्या हम उसी के लिए उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं"।

पारस्परिक शुल्क का क्या मतलब है?

- पारस्परिक शुल्क से तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देश से आयात पर समान शुल्क के जवाब में लगाया जाने वाला कर है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाना जारी रखता है, तो अमेरिका भी भारतीय वस्तुओं पर समान शुल्क लगाएगा।
- इस तरह की कार्रवाइयों से दोनों देशों के उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रम्प का टकराव युक्त व्यापार रुख:

- व्यापार के प्रति डोनाल्ड ट्रम्प का दृष्टिकोण अक्सर टकराव पूर्ण रहा है, और भारत पर उनकी टिप्पणियाँ इसी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने पहले चीन, मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार प्रथाओं की आलोचना की है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- पारस्परिक टैरिफ़ की उनकी धमकियाँ अमेरिकी व्यापार घाटे को संबोधित करने और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी व्यवसायों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर उनके प्रशासन के ध्यान को रेखांकित करती हैं।
- डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रुख ने पहले भी वैश्विक व्यापार संघर्षों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने के बाद, चीन ने सोयाबीन और मक्का जैसे अमेरिकी निर्यात को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की, जिससे अमेरिकी किसानों को काफी नुकसान हुआ।

व्यापार घाटे को पाटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति:

- डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीतियाँ अमेरिकी व्यापार घाटे को संबोधित करने के उनके लक्ष्य से प्रेरित है, जहाँ आयात निर्यात से अधिक है।
- उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ को व्यापार असंतुलन को ठीक करने के एक उपकरण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि उच्च आयात कर कंपनियों को विनिर्माण को अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और घाटा कम होगा। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि व्यापार घाटा स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है।

- हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, इसकी प्रक्रिया जटिल है। क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत हैं, और उत्पादन को अमेरिका में वापस लाने में वर्षों लगेंगे। अल्पावधि में, अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई लागतों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
- वॉलमार्ट और ऑटोज़ोन जैसी खुदरा दिग्गज कंपनियों ने पहले ही संकेत दिया है कि अगर टैरिफ लागू किए जाते हैं तो उन्हें कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर प्रभाव:

- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 120 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो चीन के साथ भारत के व्यापार से थोड़ा आगे है।
- हालांकि, चीन के विपरीत, भारत का अमेरिका के साथ अनुकूल व्यापार संबंध हैं, जो इसे विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है।
- डोनाल्ड ट्रम्प का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने पिछले सप्ताह

कहा था कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करने और टैरिफ को वैश्विक औसत तक कम करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, लेकिन उद्योग की ओर से टैरिफ बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसलिए इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि भारतीय उद्योग पर्याप्त प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है।

- व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य देशों, विशेष रूप से चीन पर अमेरिकी टैरिफ भारत को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान पिछले व्यापार युद्धों ने कई देशों के लिए नए निर्यात अवसर पैदा किए थे, जिसमें मेक्सिको सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा था।
- लेकिन भारत पर टैरिफ धमकी देश के पहले से ही सुस्त पड़े निर्यात को प्रभावित करेगा। ऐसे में नए खतरे विशेष रूप से चिंताजनक हैं क्योंकि भारत ने डोनाल्ड ट्रम्प के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2019 में दशकों पुराने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) कार्यक्रम के तहत शुल्क-मुक्त पहुंच खो दी थी।
- फिर भी, ट्रम्प के प्रस्तावित टैरिफ मुख्य रूप से कहीं अधिक बड़े व्यापार असंतुलन के कारण चीन को लक्षित करने की उम्मीद है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

गंगा डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग का महत्व:

चर्चा में क्यों है?

- असम में 18 दिसंबर को पहली बार गंगा डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) को सैटेलाइट टैग किया गया, जिससे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु के संरक्षण पहल के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, इस सैटेलाइट टैगिंग अभ्यास से गंगा डॉल्फिन के मौसमी और प्रवासी पैटर्न, सीमा, वितरण और आवास उपयोग को समझने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से खंडित या अशांत नदी प्रणालियों में।

गंगा डॉल्फिन:

- डॉल्फिन की कई परिवारों में लगभग 40 मौजूदा प्रजातियां हैं। प्लैटनिस्टिडे परिवार में भारतीय नदी डॉल्फिन की दो मौजूदा प्रजातियां शामिल हैं - सिंधु नदी डॉल्फिन

और गंगा नदी डॉल्फिन, दोनों को 1970 के दशक तक एक ही प्रजाति माना जाता था।

- एक वयस्क डॉल्फिन का वजन 70 किलोग्राम से 90 किलोग्राम के बीच हो सकता है। वे मछलियों, अकशेरुकी आदि की कई प्रजातियों को खाते हैं।
- गंगा डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाई जाती हैं, और नावों के आस-पास बेहद शर्मीली मानी जाती हैं, जिससे वैज्ञानिकों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है।
- वे अपनी सीमा में कई स्थानीय नामों से जाने जाते हैं जिनमें हिंदी में सुसु, सूंस, सोन्स या सूस, बंगाली में शुशुक, असमिया में हिहो या हिहू और नेपाली में भागीरथ, शूस या सुओंगसू शामिल हैं। सांस्कृतिक रूप से, इस प्रजाति को अक्सर गंगा से जोड़ा जाता है और कभी-कभी इसे देवी गंगा के वाहन के रूप में दर्शाया जाता है।

डॉल्फिन की जनसंख्या में गिरावट के पीछे कारण:

- गंगा डॉल्फिन कभी बांग्लादेश और भारत की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों और नेपाल में सप्तकोसी और करनाली नदियों में पाई जाती

थी। एक समय था जब गंगा की डॉल्फिन को गंगा और उसकी सहायक नदियों में हिमालय की तलहटी में भी देखा जा सकता था।

- हालांकि, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फाउंडेशन (WWF) के अनुसार यह प्रजाति अब अपने अधिकांश मूल वितरण क्षेत्रों में विलुप्त हो चुकी है, आज केवल 3,500 से 5,000 ही डॉल्फिन जीवित हैं।
- सिंधु और गंगा दोनों डॉल्फिन को 1990 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि इस प्रजाति के "जंगली में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम है"।

जनसंख्या में गिरावट के पीछे कारण:

- प्रजातियों की घटती आबादी और लुप्तप्राय स्थिति के पीछे कई कारक हैं। इनमें शामिल हैं:
  - ➢ नदियों में बांधों और बैराजों का निर्माण, जो इन डॉल्फिनों की आवाजाही और प्रवास पैटर्न, भोजन की आपूर्ति और प्रजनन व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं;
  - ➢ नदी प्रदूषण, जो इन डॉल्फिन के आवासों को उन प्रजातियों और अन्य लोगों के लिए रहने योग्य नहीं बनाता है जिन पर यह भोजन के लिए निर्भर हैं;

➢ इन डॉल्फिन के तैलीय वसा के लिए अवैध शिकार, या मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक उलझाव; और

➢ नदियों के सूखने और कम नौगम्य होने के कारण आवास सिकुड़ रहे हैं।

डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास:

- यही कारण है कि 1980 के दशक से ही इस दुर्लभ प्रजाति को संरक्षित करने और इसकी आबादी को 20वीं सदी से पहले के स्तर पर वापस लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। लेकिन अब तक इन प्रयासों से कोई खास सफलता नहीं मिली है।

वन्यजीव अधिनियम संरक्षण की अनुसूची में जुड़ाव:

- 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत के बाद, सरकार ने 1986 में गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया। इसका उद्देश्य शिकार पर रोक लगाना और प्रजातियों के लिए वन्यजीव अभयारण्य जैसी संरक्षण सुविधाएं प्रदान करना था।
- उदाहरण के लिए, इस अधिनियम के तहत बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई थी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डॉल्फिन संरक्षण योजना:

- सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन 2010-2020 के लिए संरक्षण कार्य योजना तैयार की, जिसमें "गंगा डॉल्फिन के लिए खतरों और नदी यातायात, सिंचाई नहरों और डॉल्फिन आबादी पर शिकार-आधार की कमी के प्रभाव की पहचान की गई"।
- विचार यह था कि उन कारकों की समग्र रूप से पहचान की जाए जो प्रजातियों की आबादी में गिरावट का कारण बन रहे थे, और इन मुद्दों को संबोधित किया जाए।
- **राष्ट्रीय जलीय जानवर:** 2009 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया, जो कि प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक प्रयास था।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन:

- यह 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करने का नवीनतम प्रयास है। इस परियोजना की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी, जो देश में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने में सफल रही है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि नवीनतम डॉल्फिन टैगिंग पहल, इस परियोजना के तहत की गई कई पहलों में से एक है, जिसका "लक्ष्य प्रजातियों और उनके संभावित खतरों की एक व्यवस्थित निगरानी शामिल है, ताकि एक संरक्षण कार्य योजना विकसित और कार्यान्वित की जा सके"।
- विशेष रूप से, प्रोजेक्ट डॉल्फिन गंगा नदी की डॉल्फिन को एक "छाता प्रजाति" के रूप में देखता है, जिसका संरक्षण "मानव सहित संबंधित आवास और जैव विविधता की भलाई में योगदान देगा"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (MSPS) विधेयक, 2024' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. इसमें 'शहरी नक्सलवाद' से निपटने के लिए एक व्यापक नए कानून का प्रस्ताव किया गया है।
   2. यह विधेयक सरकार को किसी भी संदिग्ध "संगठन" को "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने की शक्ति देता है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(c)

2. भारत का मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून UAPA, जिसका इस्तेमाल नक्सलवाद से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, को संसद द्वारा कब अधिनियमित किया गया था?

(a) 1958 में

(b) 1967 में

(c) 1989 में

(d) 2006 में

Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 120 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।

2. इसमें भारत का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार घाटा हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)

4. चर्चा में रहे 'गंगा डॉल्फिन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) भारत में गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग की गईं पहली डॉल्फिन हैं।

(b) गंगा डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाई जाती हैं।

(c) यह IUCN की लाल सूची में 'लुप्तप्राय' प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन हैं।

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह गंगा नदी की डॉल्फिन को एक "छाता प्रजाति" के रूप में देखता है।

2. 2009 में शुरू की गई यह डॉल्फिन के संरक्षण की एक पहल है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)